

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/664

दिनांक :- 02.08.2021

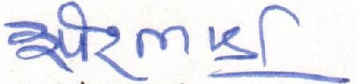
कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12606	सोनू कुमार वैष्णव	स्नातकोत्तर (लोक प्रशासन) (अंतिम वर्ष) सत्र 2020-21 (स्वयंपाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर, जयपुर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/664

दिनांक :- 02.08.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर, जयपुर।।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एससीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री सोनू कुमार वैष्णव, क0 लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर, जयपुर।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III / 665

दिनांक :- 02.08.2021

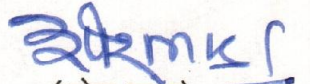
कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	11149	शैलेश जैन	डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन, सत्र 2021 (दूरस्थ शिक्षा)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	कार्यालय सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III / 665

दिनांक :- 02.08.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर।।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री शैलेश जैन, क0 लेखाकार कार्यालय सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/666

दिनांक :- 02.08.2021

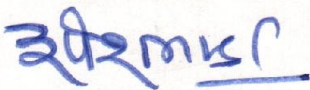
कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12393	सुनील कुमार बैरवा	स्नातकोत्तर (राजनीति विज्ञान) (प्रथम वर्ष) सत्र 2020-21 (स्वयंपाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कार्यालय सीईओ एवं परि. निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/666

दिनांक :- 02.08.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सीईओ एवं परि. निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री सुनील कुमार बैरवा, क0 लेखाकार कार्यालय सीईओ एवं परि. निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)